न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

(कैलाश चन्द्र शर्मा, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्याः– 17/2018

प्रविष्टि दिनांकः– 28.06.2018

1–श्योजी पुत्र घासी जाति मीणा (गौत्र–मोटीस) निवासी स्यावता तहसील दूनी जिला टोंक
2–श्योराज पुत्र घासी जाति मीणा (गौत्र–मोटीस) निवासी स्यावता तहसील दूनी जिला टोंक
3–सौभाग पुत्र घासी जाति मीणा (गौत्र–मोटीस) निवासी स्यावता तहसील दूनी जिला टोंक

.....अपीलाण्ट

बनाम

1–प्रधान पुत्र घासी जाति मीणा (गौत्र–डूमाला) निवासी स्यावता तहसील दूनी जिला टोंक
2–मस्तराम पुत्र घासी जाति मीणा (गौत्र–डूमाला) निवासी स्यावता तहसील दूनी जिला टोंक
3–सीता पुत्री घासी जाति मीणा (गौत्र–डूमाला) निवासी स्यावता तहसील दूनी जिला टोंक
4–रामधणी पुत्री घासी जाति मीणा (गौत्र–डूमाला) निवासी स्यावता तहसील दूनी जिला टोंक
5–ललिता पुत्री घासी जाति मीणा (गौत्र–डूमाला) निवासी स्यावता तहसील दूनी जिला टोंक
6–सोहनी देवी पत्नि घासी जाति मीणा (गौत्र–डूमाला) निवासी स्यावता तहसील दूनी जि.टोंक
7–दुर्गालाल पुत्र मोती जाति मीणा (गौत्र–डूमाला) निवासी स्यावता तहसील दूनी जिला टोंक
8–गणेश पुत्र मोती जाति मीणा (गौत्र–डूमाला) निवासी स्यावता तहसील दूनी जिला टोंक
9–जंसी पुत्र नारायण
10–रामकिशन पुत्र नारायण
11–श्योपाल पुत्र नारायण
12–रतिराम पुत्र नारायण
13–मन्नी पुत्री नारायण
14–तहसीलदार देवली हाल दूनी जिला टोंक राज0

.....रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्व नामांतकरण संख्या 592 दिनांक 08.12.2010 तहसीलदार देवली

उपस्थितः(1) श्री विजय पारीक, अभिभाषक अपीलाण्ट्स
(2) श्री गजेन्द्र शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 ता. 8
(3) श्री मानसिंह गुर्जर, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स संख्या 9 ता. 13

निर्णय

दिनांक 31.05.2019

अपील का संक्षिप्त मे सार इस प्रकार है कि तहसीलदार देवली द्वारा नामान्तकरण संख्या 592 दिनांक 08.12.2010 को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप अपीलांट्स व्यथित होंकर नामान्तकरण को विधि विधान एंव तथ्यो के प्रतिकूल बताते हुए निरस्त करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया एंव तलबी रेस्पो. जरिये नोटिस की गई। मूल नामान्तकरण तलब किया गया। प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक (005)

Scanned by CamScanner

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त नामान्तकरण खोले जाने से पूर्व तहसीलदार देवली द्वारा बिना वास्तविक तथ्यो की जांच किये विधि विरूद्व तरीके से दस्तावेजी साक्ष्य के विपरित जाकर खोला गया है। अपीलांट्स के पिता की मृत्यु रेस्पो. संख्या 1 ता. 6 के पिता व पति की मृत्यु के बाद हुई थी और रेस्पो. संख्या 1 ता. 6 के पिता की मृत्यु दिनांक 12.05.2017 को हुई थी, जिसका फौती का नामान्तकरण तहसीलदार देवली द्वारा भरा गया है। उसमे खसरा नम्बर 906 जो रेस्पो. संख्या 1 ता. 6 के नाम भरा जाना चाहिए था,किन्तु राजस्व कर्मचारियो ने अपीलांट्स के जीवित पिता की जगह रेस्पो संख्या 1 ता. 6 के ह कमे भर दिया गया। खसरा नम्बर 906 के अलावा अन्य किसी भूमि मे रेस्पो. संख्या 1 ता. 8 का कोई हक व हिस्सा नही है तथा अपीलांट्स व रेस्पो. संख्या 9 ता. 13 की खातेदारी एंव कब्जे काश्त की भूमि कुल किता–23 रकबा 7.92 है0 है जिस पर अपीलांट्स व रेस्पो. संख्या 9 ता.13 का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा उक्त भूमि पर अपीलांट्स के पिता की मृत्यु के बाद अपीलांट्स तथा रेस्पो. संख्या 9 ता. 13 वैधानिक वारिसान है। अपीलांट्स के पिता की मृत्यु वर्ष 2018 मे हुई थी, इस कारण उनकी खातेदारी की उक्त वर्णित आराजीयात का नामान्तकरण उनकी मृत्यु के बाद अपीलांट्स के पक्षा मे भरा जाना चाहिए था किन्तु राजस्व कर्मचारियो ने रेस्पो. संख्या 1 ता. 8 से मिलीभगत कर खसरा नम्बर 906 के बजाय अपीलांट्स के पिता की खातेदारी की भूमि का भी विरासत का नामान्तकरण भरवा लिया,जबकि जिस दिनांक को नामान्तकरण भरा गया था उस दिन अपीलांट्स के पिता ज़ीवित थे तथा नामान्तकरण की प्रक्रिया मे राजस्व कर्मचारियो का एक आज्ञापक प्रावधान है कि वह उसके वारिसान के संबंध मे जांच कर नियमानुसार मृत्यु के उपरान्त नामान्तकरण मृतक के वैधानिक वारिसानो के नाम तस्दीक किया जाना चाहिए था। राजस्व कर्मचारियो द्वारा एक ही स्थान पर बैठकर सम्पूर्ण कार्यवाही रेस्पो संख्या 1 ता. 6 के पक्ष मे कर दी जो की अनुचित,अवैध,अपूर्ण अवैधानिक है। अपीलांट्स व रेस्पो. संख्या 1 ता 8 के गोत्र तथा परिवार अलग–अलग है जिनका जमाबंदी मे अलग–अलग अंकन है। रेस्पो. संख्या 1 ता. 8 की खातेदारी की भूमि खाता संख्या 97 नया व 98 पुराना कुल किता–14 कुल रकबा 6.61 है0 है जिसकी जमाबंदी मे रेस्पो. संख्या 1 ता. 8 के नाम अमल दरामद है। जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलांट्स व रेस्पो संख्या 1 ता. 8 अलग–अलग परिवार व अलग–अलग गौत्र के व्यक्ति है परन्तु उक्त नामान्तकरण अपीलांट्स के पिता की खातेदारी की भूमि का फौती का नामान्तकरण रेस्पो. संख्या 1 ता. 8 के नाम तस्दीक कर दिया गया है जो गलत है जबकि उक्त नामान्तकरण नियमानुसार अपीलांट्स के नाम तस्दीक किया जाना चाहिए था। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामांतकरण सं. 592 दिनांक 08.12.2010 वाके ग्राम स्यावता तहसील देवली हाल दूनी को अपास्त किया जावे एवं विरासत का नामांतकरण अपीलांट्स के नाम तरदीक किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स सं0 1 ता 13 ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम स्यावता मे एक ही नाम के दो व्यक्ति होने के कारण राजस्व कर्मचारियो द्वारा सहवन से नामान्तकरण मे अपीलांट्स के पिता के भी खसरा नम्बर अंकित हो सकते है।

विद्वान अभिभाषक उभयपक्षो की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। नामान्तकरण संख्या 592 दिनांक 08.12.2010 किता–23 रकबा 7.92 है0 वाके ग्राम स्यावता तहसीलदार देवली द्वारा स्वीकार किया

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Scanned by CamScanner

गया है। नामान्तकरण घासी के फौत होने पर उनके वारिसान के नाम नामान्तकरण भरकर पेश किया जाना अंकित है। अभिभाषक अपीलांट्स का तर्क है कि अपीलांट्स के पिता की मृत्यु वर्ष 2018 मे हुई थी, इस कारण उनकी खातेदारी की उक्त वर्णित आराजीयात का नामान्तकरण उनकी मृत्यु के बाद अपीलांट्स के पक्ष मे भरा जाना चाहिए था किन्तु राजस्व कर्मचारियो ने रेस्पो. संख्या 1 ता. 8 से मिलीभगत कर खसरा नम्बर 906 के बजाय अपीलांट्स के पिता की खातेदारी की भूमि का भी विरासत का नामान्तकरण भरवा लिया,जबकि जिस दिनांक को नामान्तकरण भरा गया था उस दिन अपीलांट्स के पिता जीवित थे तथा नामान्तकरण की प्रक्रिया मे राजस्व कर्मचारियो का एक आज्ञापक प्रावधान है कि वह उसके वारिसान के संबंध मे जांच कर नियमानुसार मृत्यु के उपरान्त नामान्तकरण मृतक के वैधानिक वारिसानो के नाम तस्दीक किया जाना चाहिए था। अभिभाषक रेस्पो. ने भी इस तथ्य को दौराने बहस स्वीकार किया है कि ग्राम स्यावता मे एक ही नाम के दो व्यक्ति होने के कारण राजस्व कर्मचारियो द्वारा सहवन से नामान्तकरण मे अपीलांट्स के पिता के भी खसरा नम्बर अंकित हो सकते है। अपील मे अंकित सजरे के अनुसार श्योजी,श्योराज,सोभाग पुत्र, केसर पत्नि घासी होना प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर तहसीलदार देवली द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 592 दिनांक 08.12.2010 वाके ग्राम स्यावता तहसील देवली को अपास्त किया जाकर तहसीलदार दूनी को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि अपीलांट्स के मृतक पिता घासी के वारिसान की पूर्ण व विस्तृत जांच कर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक (राज0)

Scanned by CamScanner